# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चौथ का बरवाड़ा

मु0न0: 408 / 2011 तारीख रजू:–25.02.2011

**जीसीएमएस नंबर:–2011 / 00137**

***पीठासीन अधिकारी :–जोगेन्द्र सिंह ( आर.ए.एस.)***

1. मोहन पुत्र चन्द्रा नाई निवासी ग्राम भेडोला, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर। **फोत**
   1 / 1. हरिशंकर दत्तक पुत्र मोहनलाल नाई निवासी ग्राम भेडोला, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।
   1 / 1 / 1. विनोद पुत्र स्व0 हरिशंकर नाई
   1 / 1 / 2. विकास पुत्र स्व0 हरिशंकर नाई
   1 / 1 / 3. सुशीला पत्नि स्व0 हरिशंकर नाई
   1 / 1 / 4. माया पुत्री स्व0 हरिशंकर नाई
   निवासीयान ग्राम भेडोला, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
चौथ का बरवाड़ा

–वादीगण

## बनाम

1. गजराज पुत्र श्यामा नाई
2. हेमराज पुत्र श्यामा नाई
3. झमरन बैवा श्यामा नाई
4. पोशाकी देवी पत्नि सीताराम माली
   निवासीयान ग्राम भेडोला, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।
5. तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा।

–प्रतिवादीगण

उपस्थित:–

वकील वादी:– श्री सुधीर कुमार जैन, एडवोकेट

वकील प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3:– श्री अब्दुल वहाब, ऐडवोकेट

वकील प्रतिवादी संख्या 4:– श्री बालकृष्ण उपाध्याय, ऐडवोकेट

## दावा बाबत् इस्तकरारहक, स्थाई निषेधाज्ञा एवं इन्द्राज दुरूस्ती, अन्तर्गत धारा 88, 188 आर0टी0 एक्ट

Signature Not Verified

Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2025.12.09 12:29:17 IST
Reason: SelfAttested

[illegible] 09.12.2025

–: निर्णय :–

1. प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि–

❖ वादी ग्राम भेडोला, तहसील चौथ का बरवाड़ा के स्थाई निवासी हैं।

❖ वादी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी खसरा नंबर 449 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नंबर 448 रकबा 1 बीघा, खसरा नंबर 444 रकबा 12 बिस्वा

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

कुल रकबा 5 बीघा वाके ग्राम भेडोली स्थित है, जिसको काश्त कर पिछले 32 वर्षों से लाभ प्राप्त करता चला आ रहा है।

- ❖ वादी की खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजी से करीब 500 मीटर दूर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 की खातेदारी की आराजी खसरा नंबर 450/17 रकबा 5 बीघा ग्राम भेडोला स्थित है, जिस पर वह काश्त करता रहा है।

- ❖ तहसील चौथ का बरवाड़ा में पिछले वर्षों में भू–सर्वेक्षण हुआ है, जिसमें ग्राम भेडोला का भी भू–सर्वेक्षण हुआ है। भू–सर्वेक्षण में वादी की खातेदारी में खसरा नंबर 853 रकबा 1.13 ऐयर जो पुराने खसरा नंबर 444 व 449 से बनना बताया है। खसरा नंबर 855, 856 व 857 रकबा 78 ऐयर, जो पुराने खसरा नंबर 449 से बनना बताया है एवं खसरा नंबर 851/1270 रकबा 0.35 ऐयर, जो खसरा नंबर 448/2 व 444 से बनना बताया है।

- ❖ प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 की खातेदारी का खसरा नंबर 450/17, जो वादी के खातेदारी की आराजी से करीब 500 मीटर दूर था, को नवीन खसरा नंबर 858 रकबा 0.50 ऐयर, खसरा नंबर 878 रकबा 0.16 ऐयर, खसरा नंबर 879 रकबा 0.27 ऐयर, खसरा नंबर 880 रकबा 0.10 ऐयर, खसरा नंबर 902 रकबा 0.24 ऐयर बनाये गये हैं।

- ❖ प्रतिवादी के खसरा नंबर 878, 879, 880, 902 की तरमीम से वादी को कोई आपत्ति नहीं है, परन्तु खसरा नंबर 858 रकबा 0.50 ऐयर की तरमीम से आपत्ति है, क्योंकि वादी की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी खसरा नंबर 449 तीना बीघा 8 बिस्वा में शामिल कर दिया है, जबकि प्रतिवादीगण के अन्य खसरा नंबर 878, 879, 880, 902 काफी दूर करीब 500 मीटर दूर हैं। भू–सर्वेक्षण के दौरान खसरा नंबर 858, जो पुराने खसरा नंबर 449 का भाग है, में शामिल कर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 की खातेदारी में दर्ज कर दिया है, वह गलत है। यह भूमि वादी की खातेदारी व कब्जे काश्त के खेत खसरा नंबर 449 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा का भाग है, वादी की खातेदारी में दर्ज होना चाहिये। प्रतिवादी 1 लगायत 3 की खातेदारी में दर्ज नहीं होना चाहिये।

- ❖ वादी की खातेदारी में दर्ज खसरा नंब[illegible] सेटलमेंट विभाग ने 449 से बनना बताया है, जबकि पुराना नक्शा ट्रेस नवीन नक्शा ट्रेस का मिलान करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि खसरा नंबर 449 का तो एक या दो ऐयर ही भूमि है, बाकी उन्नीस ऐयर खसरा नंबर 447 व 448 से लिया गया है। 447 किसी दीगर व्यक्ति की खातेदारी रही है और 448 वादी की खातेदारी का 11 ऐयर भूमि खसरा नंबर 448 व 449 की है। बाकी भूमि खसरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2025.12.09 12:29:17 IST
Reason: SelfAttested



उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

नंबर 447 के खातेदार के कब्जे काश्त में है। इसलिये इसके 448, 449 से बनना मानकर 11 ऐयर भूमि वादी की खातेदारी में दर्ज करवाने का अधिकारी है।

❖ खसरा नंबर 851/1270 रकबा 0.35 ऐयर को भू–सर्वेक्षण विभाग ने 448/2 रकबा 1 बीघा व खसरा नंबर 440 रकबा 12 बिस्वा पुराना नंबर से बनना बताया है, जबकि वास्तविकता यह है कि यह 448/2 से बना ही नहीं है। यह खसरा नंबर 445 से बनना सिद्ध होता है। यदि पुराना नक्शा ट्रेस व नवीन नक्शा ट्रेस को मिलान करें तो यह बात सिद्ध हो जाती है कि खसरा नंबर 851/1270, खसरा नंबर 445 से बनाया गया है। फिर 444 से भू–सर्वेक्षण विभाग ने खसरा नंबर 853 रकबा 13 ऐयर बना दिया, तो खसरा नंबरा 444 की ताक कोई भूमि ही शेष नहीं रहती है। खसरा नंबर 448 वादी का मात्र एक बीघा था, फिर यह भू–सर्वेक्षण विभाग ने 35 ऐयर क्यों कर बनाया है। इस बात से विभाग की व प्रतिवादीगण की दुर्भावना प्रकट होती है। इसलिये 851/1270 को वादी की खातेदारी में दर्ज किया है, उसे निरस्त फरमाया जावे। यह भूमि किसी अन्य के कब्जे में है, इसलिये वादी इस भूमि पर न तो काश्त कर सकता है और न ही कोई लाभ प्राप्त कर सकता है।

❖ पुराना खसरा नं0 449, जो तीन बीघा 8 विस्वा का था, ये खसरा न० 858 नवीन रकबा 0.50 ऐयर व 857 रकबा 0.56 ऐयर बनाया है। खसरा नंबर 858 व 857 पुराने खसरा नंबर 494 रकबा तीन बीघा आठ बिस्वा से बना है। खसरा न० 865, 857 व 853 को खसरा न० 449, 448 व 444 से बनाया जाकर 0.76 ऐयर भूमि को वादी के खाते में दर्ज की जानी चाहिये थी। वादी ने 63 ऐयर भूमि, खसरा न० 856, 857, 853 मे से श्रीमती पोसाकी देवी पत्नि सीताराम माली को विक्रय कर दी है। लिहाजा 63 ऐयर भूमि पोसाकी के नाम दर्ज कर बाकी 13 ऐयर भूमि को वादी के नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है।

❖ वादी को यह है हक है, कि 32 वर्षों से पुरानी चली आ रही उसकी खातेदारी की भूमि जिस स्थान पर वादी को कब्जा दिया गया था, उसी जगह यह काबिज रहने का अधिकारी है। नवीन नक्शा [illegible] नहीं किया जा सकता। भू सर्वेक्षण ने नक्शा ट्रेस व त[illegible] कर [illegible] वादी नंबर 1 लगायत 3 के खेत खसरा नंबर 45[illegible] रकबा 0.50 ऐयर बनाकर वादी से खेत खसरा नबर 449 मे शामिल कर दिया है, उसे निरस्त करवाये और वादी अपनी खारोदारी मे दर्ज करवावे । इसी प्रकार खसरा नंबर 444, 448 व 449 के शेष भाग से खसरा नंबर 856, 857 व 853 आठ सो तरेपन बनवाकर रकबा 76 ऐयर बनाकर खातेदारी मे दर्ज करवावे। भू सर्वेक्षण

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2025.12.09 12:29:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

विभाग ने जो पैमाइश कर गलती की है, उसको निरस्त करवाने का वादी अधिकारी है, तथा इन्द्राज मे इसी प्रकार दुरूस्ती करनवाने का भी अधिकारी है।

❖ वादी को सेटलमेन्ट विभाग द्वारा की गई नक्शा व रिकार्ड की गलती का कतई ज्ञान नहीं था। प्रतिवादीगण ने गलत इन्द्राज की आड मे जब खसरा नंबर 858 पर अपना हक बताया और कहा कि सेटलमेन्ट विभाग ने मेरा तो स्थान वादी के खेत खसरा नंबर 449 के भाग पर बता दिया है, इसलिऐ मैं खसरा नंबर 858 पर काबिज होकर रहूंगा। वादी ने सीमाज्ञान करवाया और नक्शा ट्रेस एवं जमाबन्दी पुरानी, नयी एवं मिलान क्षेत्रफल की नकले प्राप्त की तब जाकर यह ज्ञान हुआ कि रेवेन्यू रिकार्ड में गलती करके वादी को उसके अधिकारो ते वंचित कर दिया है।

❖ यह वि बिनाय दावा सेटलमेंट विभ्राग रेवेन्यू रिकार्ड में भू–सर्वेक्षण के दौरान गलती करने व दिनाक 1–7–07 को वादी के खेत खसरा नंबर 858 रकबा 0.50 ऐयर, जो पुराना खसरा न० 449 से बना है, जबरन कब्जा करने की धमकी देने व इस भूमि को विक्रय कर देने की धमकी देने से अन्दर हदूद अदालत वाला पैदा हुआ जिससे यह दावा करना लाजिम आया।

❖ दावा वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावे कि–

- घोषणा इस जाशय को परमाई जावे कि खसरा नंबर 858 रकबा 0.50 ऐयर स्थित वाके ग्राम मैडोला तहसील चौथ का बरवाडा पुराना खसरा नंबर 449 रकबा 3 बीघा 8 विस्वा का भाग है, जो वादी के कब्जे काश्त एवं खातेदारी का है प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 का इससे कोई वास्ता नहीं है।

- वादी की खातेदारी के व कब्जे काश्त के पुराना खसरा नंबर 444 रकबा 12 बिस्वा, खसरा नंबर 448 रकबा एक बीघा, खसरा नंबर 449 का शेष रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, कुल रकबा 3 बीघा से नवीन 853 रकबा 13 ऐयर, खसरा नंबर 856 व 857 रकबा 0.63 ऐयर कुल रकबा 76 ऐयर कायम मौके के कब्जे अनुसार किया जावे, [illegible] अधिकारी है। 63 ऐयर भूमि प्रतिवादी के नाम दर्ज की जावे।

- वादी के नाम खसरा नंबर 853 रकबा 13 ऐयर, [illegible]रा नंबर 856, 857 रकबा 63 ऐयर, खसरा नंबर 858 रकबा 0.50 ऐयर रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज कर नक्शा ट्रेस में तद्नुसार संशोधन किया जाये।

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2025.12.09 12:29:17 IST
Reason: SelfAttested

- प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि खसरा नंबर 858 रकबा 0.50 ऐयर को दौराने दावा खरीद फरोख्त, रहन व किसी प्रकार से अन्तरण नहीं करे तथा पुराने जमाबंदी रिकॉर्ड व नक्शा ट्रेस के अनुसार चले आ रहे कब्जे काश्त में मजामहत व मदाखलत न स्वयं करे न किसी अन्य से करावे।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर नोटिस बनाम प्रतिप्रार्थीगण जारी किये जाकर उन्हे न्यायालय में तलब किया।

3. प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 ने अपना जवाब पेश किया है कि–

❖ प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 के पिता व प्रतिवादी संख्या 3 के पति श्यामा की ग्राम भेडोला में आराजी खसरा नंबर 450/17 रकबा 5 बीघा भूमि स्थित है, जिसके सेटलमेंट के बाद नये खसरा नंबर 858, 878, 880 व 902 बने है। इस खसरा नंबर से वादी को कोई वास्ता नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा सत्यमेव जयते

❖ वादी की भूमि के दक्षिण में प्रतिवादी न० 1 लगायत 3 की भूमि खसरा नम्बर 858 स्थित है। जिसको प्रतिवादीगण ने सत्यनारायण नाई जो कि प्रतिवादी नं0 1 व 2 के ताउ का लड़का है को बता रखी है और उसके हिस्से की उतनी ही भूमि सत्यनारायण की पैत्रिक भूमि में से दूसरी जगह प्रतिवादी नम्बर 1 लगा० 3 को बता रखी है जो आपसी सहमति है और काबिज है और यह बात भी उल्लेखनीय है कि वादी एवं प्रति० नं० 1 लगा० 3 एक ही परिवार के व्यक्ति है। वादी की उक्त भूमि की सीमाएँ भी इस प्रकार है पूर्व में किशन मीना की भूमि, पश्चिम में रास्ता भगवतगढ जाने वाला, उत्तर में घासी माली की भूमि तथा दक्षिण में 858 की प्रति० की भूमि स्थित है। इस तरह जब वादी अपनी भूमि पर एक ही जगह पर काबिज है तो वह क्योंकर प्रतिवादीगण की भूमि ख०नं० 858 पर कब्जा करना चाहता है।

❖ वादी का कथन स्वयं विरोधाभाषी है। वादी एक ओर तो भूमि को कम बताता है दूसरी ओर इन्ही आराजीयात में से ख०नं० 855, 856, 857 का प्रतिवादी नं0 4 पोशाकी को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बेचान कर चुका है। इसलिए जब वादी का इन आराजीयात पर कोई कब्जा ही नही रहा है तो [illegible] दा[illegible]यरी का कोई अधिकार नही रहता है इसलिये दावा वादी खारिज होने योग्य [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2025.12.09 12:29:17 IST
Reason: SelfAttested

❖ वादी अपनी उक्त विवादित आराजीयात को ख0नं0 447 में [illegible]ना कहता है वादी ने ख0नं0 447 के खातेदारी को क्योंकर पक्षकार नही बनाया है इसलिए दावे में नॉन जेन्डर ऑफ पार्टिज का नुक्स होने के कारण दावा खारीज होने योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

❖ वादी अपनी आराजीयात ख०नं० 853, 855, 856, 857, 851/1270 जिसका कुल रकबा 1.26 है० है पर काबिज है और प्रतिवादी नं० 1 लगा03 अपनी कब्जे काश्त की भूमि ख0नं0 858, 878, 879, 880, 902 कुल रकबा 1.27 है० पर काबिज है अगर विवादित आराजीयात के किसी भी रकवें में थोड़ी बहुत भी कमी या बढोतरी होती है तो पूरे गांव भेडोला की भूमि ही नहीं बल्कि आस पास के गांवों की भी भूमि प्रभावित होगी तथा अनावश्यक मुकदमें बाजीयां बढ़ जावेगी।

❖ प्रतिवादी नं० 1 लगा० 3 के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि ख०नं० 858 रकबा 0.50 है० पर सत्यनारायण प्रतिवादी नं० 1 लगा० 3 की सहमति से काबिज है और उतनी ही भूमि पर प्रतिवादी नं० 1 लगा० 3 सत्यनारायण की सहमति से दूसरी जगह पर काबिज है। जिसकी वादी को पूर्ण जानकारी है। लेकिन वादी निहायत ही चालाक किस्म का व्यक्ति होने के कारण स्वयं की भूमि को तो प्रतिवादी नं0 4 को बेचान कर चुका है और उसी की आड़ लेकर प्रतिवादी नं० 1 लगा० 3 की भूमि ख०नं० 858 रकबा 0.50 है० पर जबरदस्ती कब्जा करना चाहता है जबकि प्रतिवादी नं० 1 लगा०3 को अधिकार प्राप्त है कि वो वादी को जारी स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द करवाये कि वो प्रतिवादी नं० 1 लगा० 3 के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि ख०नं० 858 रकबा 0.50 है० के उपयोग व उपभोग में न तो वादी स्वयं बाधा उत्पन्न करें ना किसी अन्य से करावे।

❖ अतः जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का वादपत्र मय हर्जा खर्चा खारीज फरमाया जाकर वादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जावे कि वो प्रतिवादी नं० 1 लगा० उकी कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि ख०नं० 858 रकबा 0.50 है० वाके ग्राम भेडोला के उपयोग उपभोग में ना तो स्वयं कोई बाधा उत्पन्न करे ना किसी अन्य से करावे।

4. वकील प्रतिवादी संख्या 4 ने अपना जवाब पेश किया है कि–

❖ मुझ प्रतिवादीया पोषाकी देवी ने वादी मोहन लाल से दिनांक 10/3/06 को आराजी खसरा नं0 853 रकबा 0.13, मेसे 0. 06, खसरा नं0 856 रकबा 0.01 गैर मुमकिन खडडा, खसरा नं० 857 रकबा [illegible] हैक्टर वाके ग्राम भेडोला को सम्पूर्ण अधिकारों सहित खरीद किया [illegible] विक्रय पत्र पजीकृत कराया गया है जिसमें जिस स्थान [illegible] को जहा कब्जा सम्हलाया है वो सीमा भी दर्शायी गयी है जिसके अनुसार प्रतिवादीया का कब्जा चला आ रहा हैजिससे वादी का या किसी अन्य का कोई सम्बन्ध नहीं है।

❖ वादी के वाद विवरण से पैसा प्रतीत होता है कि वादी को गत सैटलमेन्ट के दोरान सेटलमेन्ट विभाग द्वारा जो नवीन नम्बर डाले है तथा नया नक्शा ट्रैस बनाया है

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2025.12.09 12:29:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

उससे कोई आपती है जिससे जवाबदाता का कोई सम्बन्ध नही है वादी का हमारी जमीन से कोई सम्बन्ध नतो कभी रहा है अगर वादी को सेटलमेन्ट विभाग के किसी आदेश से आपती है तो उसके लिये विधीअनुसार अपील सक्षम अधिकारीता में करनी चाहिये थी जो कि वादी ने नहीं की है परन्तु जहां तक इस वाद का सम्बन्ध है वादी का वाद पोषणीय नही है।

- ❖ वादी का वाद निराधार है तथा वादी के बाद के कारण हम प्रतिवादीया को बिना कारण परेशान होना पड रहा है जिसके लिये जवाबदाता विशेष हर्जा प्राप्त करने के अधिकारी है।
- ❖ वादी को हम जवाबदाता के विरूद्ध नतो कोई वाद हेतु पैदा हुवा है नही हमारे विरूद्ध कोई परितोष प्राप्त करने का अधिकारी वादी है इस कारण वादी का वाद मय हर्जा खारिज किया जावे ऐसी मेरी प्रार्थना है।

5. निम्नानुसार तनकीयात कायम की जाकर विवेचित की गई–

I. आया खसरा नंबर 858 रकबा 0.50 है0 वाके ग्राम भेडोला साबिक खसरा नंबर 449 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा का भाग होने से वादी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त का है एवं रेवेन्यू रिकॉर्ड में वादी दर्ज कराने का अधिकारी है।

–वादी

II. आया साबिक खसरा नंबर 444 रकबा 12 बिस्वा साबिक खसरा नंबर 448 रकबा 1 बीघा साबिक खसरा नंबर 449 का शेष रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा कुल रकबा 3 बीघा मौके के कब्जानुसार नवीन खसरा नंबर 853, 856, 857 कुल रकबा 0.76 है0 सही नहीं बनाये गये, जो वादी दुरूस्त करवाने का अधिकारी है।

–वादी

III. आया वादी प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का अधिकारी है।

–वादी

IV. आया भू–सर्वेक्षण विभाग द्वारा किया गया सर्वेक्षण नियमानुसार किया गया है, जिसमें सशोंधन की आवश्यकता नहीं है।

–प्रतिवादी [illegible] लगायत 3

V. आया दावा नोन जोइन्डर ऑफ पार[illegible] है।

–प्रतिवादी सं[illegible] लगायत 3

VI. आया वादी को सेटलमेंट विभाग द्वारा की गई त्रुटी की नियमानुसार अपील करनी चाहिये, दावा पोषणीय नहीं है।

–प्रतिवादी संख्या 4

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा सत्यमेव जयते

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2025.12.09 12:29:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

VII. आया वादी के प्रतिवादी संख्या 4 के विरूद्ध कोई वाद हेतु उत्पन्न नहीं हुआ, जिससे दावा खाजिरे किये जाने योग्य है। व प्रतिवादी संख्या 4 विशेष हर्जा खर्चा प्राप्त करने का अधिकारी है।

–प्रतिवादी संख्या 4

6. वकील वादीगण ने साक्ष्य के समर्थन में निम्नानुसार मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये हैं–

- पी0डब्ल्यू–01:–हरिशंकर दत्तक पुत्र मोहनलाल नाई निवासी भेडोला, तहसील चौथ का बरवाड़ा।
- पी0डब्ल्यू–02:–रामस्वरूप पुत्र चौथमल कलाल निवासी भेडोला, तहसील चौथ का बरवाड़ा।
- पी0डब्ल्यू–03:–मूलसिंह पुत्र कल्याण सिंह राजपूत, निवासी भेडोला, तहसील चौथ का बरवाड़ा।
- प्रदर्श–1:–जमाबंदी संवत् 2043–2046 वाके ग्राम भेडोला, तहसील चौथ का बरवाड़ा
- प्रदर्श:–2:–जमाबंदी संवत् 2061–64 वाके ग्राम भेडोला, तहसील चौथ का बरवाड़ा।
- प्रदर्श–03:–मिलान क्षेत्रफल वाके ग्राम भेडोला, तहसील चौथ का बरवाड़ा।
- प्रदर्श–4:–नक्शा ट्रेस
- प्रदर्श–05:–नक्शा ट्रेस
- प्रदर्श–06:–नक्शा ट्रेस
- प्रदर्श–07:–जमाबंदी संवत् 2043–46
- प्रदर्श–08:–जमाबंदी संवत् 2061–64
- प्रदर्श–09:–मिलान क्षेत्रफल
- प्रदर्श–10:–खसरा गिरदावरी 2035–38
- प्रदर्श–11:–खसरा गिरदावरी 2061–64
- प्रदर्श–12:–नक्शा ट्रेस
- प्रदर्श–13:–जमाबंदी संवत् 2043–46
- प्रदर्श:–14:–मिलान क्षेत्रफल
- प्रदर्श–15:–जमाबंदी संवत् 2043–46
- प्रदर्श–16:–मिलान क्षेत्रफल

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा सत्यमेव जयते

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2025.12.09 12:29:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स0 मा0)

* **<u>प्रदर्श–17:–</u>**जमाबंदी संवत् 2061–64

* **<u>प्रदर्श–18:–</u>**निर्णय सहायक कलेक्टर मु0 सवाई माधोपुर मोहनलाल बनाम सरकार मु0नं0 30/99 व डिकी

* **<u>प्रदर्श–19:–</u>**प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत भेडोला

7. दिनांक 26.05.2025 को प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 ने **No Insructios** किया, जिस कारण प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। इसी प्रकार दिनांक 26.05.2025 को वकील प्रतिवादी संख्या 4 के बार–बार अनुपस्थित रहने के कारण प्रतिवादी संख्या 4 के विरूद्ध भी एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

8. वादीगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई। मैंने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया एवं वादीगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया, जिसके अनुसार तनकीवार विवेचन निम्नानुसार है–

9. <u>तनकी संख्या 1 व 2:–</u>तनकी संख्या 1 व 2 को साबित करने का भार वादी पर कायम किया गया हैं। चूंकि यह दोनों तनकी की साक्ष्य एक ही है, लिहाजा इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है। वादीगण के वकील ने अपनी बहस में वादपत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया है तथा मौखिक साक्ष्य को पढ़कर सुनाया। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 अधिवक्ता ने वादीगण के गवाहों से जिरह की है, परन्तु यह साबित नही कर सके की उनकी खातेदारी में खसरा नंबर 858 रकबा 0.50 है0 स्थित वाके ग्राम उसकी खातेदारी में दर्ज की है, तथा सेटलमेंट विभाग ने भू–सर्वेक्षण में कोई गलती नहीं की है, जबकि वादी ने खसरा नंबर 858 पर अपना कब्जा काश्त होना साबित किया है। इसके समर्थन में कुल 19 दस्तावेज प्रदर्शित करवाये हैं। प्रतिवादीगण की ओर से कोई साक्ष्य पेश नहीं की तथा वादी की साक्ष्य का खण्डन जिरह से व दस्तावेजी साक्ष्य से नहीं करवाये हैं। जमाबंदी संतव् 2043 से 2046 (प्रदर्श–1) भूमि खसरा नंबर 449 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नंबर 448 रकबा 1 बीघा व खसरा नंबर 444 रकबा 12 बिस्वा कुल किता 03 कुल रकबा 5 बीघा वादी मोहन पुत्र चन्द्रा नाई के नाम खातेदारी दर्ज है। नक्शा ट्रेस पुराना (प्रदर्श–4) से यह तीनों खसरा नंबर एक दूसरे से सटे हुए हैं अर्थात एक ही स्थान पर हैं, जबकि प्रतिवादी सेंख्या 1 लगायत 4 का पुराना खातेदारी का खेत खसरा नंबर [illegible] के खेतों से काफी दूर दर्शाया गया है। (प्रदर्श–2) जमाबंदी संवत 2061–64 [illegible] नंबर 851/1270 रकबा 0.35 है0, 853 रकबा 0.13 है0, [illegible] नंबर 856 रकबा 0.01 है0 कुल किता 05 कुल रकबा 1.26 है0 दर्ज है, [illegible] से वादी संख्या 1/1 हरिशंकर, खसरा नंबर 856, 857, 853 में से 0.63 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 04 को विकय की है। खसरा नंबर 857 से लगता हुआ है। विवादित खसरा नंबर 857 से लगता हुआ विवादित खसरा नंबर 858 रकबा 0.50 है0 है। इस प्रकार खसरा नंबर 858 की खातेदारी में साबित होता है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 की खातेदारी पुराना खसरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2025.12.09 12:29:17 IST
Reason: SelfAttested



उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स0 मा0)

नंबर 450/17, जिसके नवीन खसरा नंबर 858, 878, 879, 880, 902 कुल किता 05 कुल रकबा 1.27 है0 बनाकर जमाबंदी जारी की है। 858 खसरा नंबर 878, 879, 880, 902 के आस–पास कभी भी नहीं रही है। इस प्रकार खसरा नंबर 858 रकबा 0.50 है0 साबिक खसरा नंबर 450/17 से बनना सिद्ध नहीं होता है। नक्शा ट्रेस **(प्रदर्श 4,5 व 6)** से यह सिद्ध होता है कि यह स्पष्ट है कि खसरा नंबर 858 रकबा 0.50 है0 साबिक खसरा नंबर 449 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा का ही भाग है और यह प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 की खातेदारी में गलत दर्ज किया है। नक्शा ट्रेस **(प्रदर्श 4,5 व 6)** से इस तथ्य की पुष्टि होती है। इसके अलावा **(प्रदर्श 7 लगायत 17)** से भी यही सिद्ध होता है कि नवीन खसरा नंबर 858 पुराने खसरा नंबर 450/17 से गलत बनाया है। नक्शा ट्रेस **(प्रदर्श–12)** से भी यह साबित होता है। इसके अतिरिक्त न्यायालय सहायक कलेक्टर, सवाई माधोपुर के मुकदमा नंबर 330/99 निर्णय दिनांक 29.05.2000 **(प्रदर्श–18)** का भी अवलोकन किया। यह दावा वादी मोहनलाल (मृतक) ने स्थाई निषेधाज्ञा को लेकर किया था। यह दावा सरकार जरिये तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा के विरूद्ध पेश हुआ, जो पुराने खसरा नंबर 449, 448 व 444 के संबंध में था। खसरा नंबर 450 स्कुल फिल्ड के लिये 3 बीघा भूमि आवंटित की थी और उसकी आड़ में खसरा नंबर 449 वादी मोहनलाल की भूमि पर कब्जा करना चाहते हैं। न्यायालय ने वादी के पक्ष में निर्णय देते हुए वादी को खसरा नंबर 444, 448, 449 का खातेदार घोषित कर प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से भी पाबंद किया था। इस प्रकार सेटलमेंट विभाग मिलान क्षेत्रफल खसरा नंबर 449 का गलत बनाया और नवीन खसरा नंबर 858 प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 की खातेदारी में दर्ज किया है। वह रिकॉर्ड के खिलाफ है। वादी के गवाहों ने खसरा नंबर 858 पर कब्जा काश्त शुरू से ही वादी व अब उसके वारिसान का बताया है, जिसका खण्डन किसी भी दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य से नहीं हुआ है। इस प्रकार तनकी संख्या 1 व 2 वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
चौथ का बरवाड़ा

10. <u>तनकी संख्या 3, 4 व 5:–</u> इन तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के ऊपर था, जिसके संबंध में उनके द्वारा कोई भी मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है। जिहाजा उक्त तनकी संख्या 3, 4 व 5 वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2025.12.09 12:29:17 IST
Reason: SelfAttested

11. <u>तनकी संख्या 6 व 7:–</u> इन तनकीयों को साबित करने का भार प्रतिवादी संख्या 04 के ऊपर था, परन्तु प्रतिवादी संख्या 04 के द्वारा भी कोई भी मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है। जिहाजा उक्त तनकी संख्या 6 व 7 वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादी संख्या 4 के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

12. उपरोक्त विवेचन से वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

## –:आदेश:–

वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाता है कि वादीगण को खसरा नंबर 858 रकबा 0.50 है0 एवं खसरा नंबर 855 रकबा 0.21 में से 13 ऐयर कुल 0.63 है0 स्थित वाके ग्राम भैडोला, तहसील चौथ का बरवाड़ा का खातेदार घोषित किया जाता है, एवं खसरा नंबर 851/1270 एवं खसरा नंबर 853, जो वादीगण के खाते में दर्ज है, इसको सिवायचक दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के खाते से खसरा नंबर 858 को हजफ किया जावे। प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि से वादीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी खसरा नंबर 858 रकबा 0.50 है0 एवं खसरा नंबर 855 रकबा 0.13 है0 स्थित वाके ग्राम भेडोला के कब्जे काश्त में बाधा नहीं पहुंचाये। तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा को आदेशित किया जाता है कि में से 0.13 है0 कुल रकबा 0.63 है0 वाके ग्राम भैडोला, तहसील चौथ का बरवाड़ा को वादी संख्या 1/1/1 लगायत 1/1/4 के नाम खातेदारी दर्ज कर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करें व नक्शा ट्रेस में तरमीम करें। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 03.12.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जोगेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स0 मा0)

उपखण्ड अधिकारी न्यायालय सत्यमेव जयते चौथ का बरवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2025.12.09 12:29:17 IST
Reason: SelfAttested

# मूल वाद में डिक्री
## (आदेश 20 के नियम 6 और 7)

नाम न्यायालय <u>उपखण्ड अधिकारी</u> स्थान <u>चौथ का बरवाडा</u>

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते चौथ का बरवाड़ा

1. मोहन पुत्र चन्द्रा नाई निवासी ग्राम भेडोला, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर। फोत
   1/1. हरिशंकर दत्तक पुत्र मोहनलाल नाई निवासी ग्राम भेडोला, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।
   1/1/1. विनोद पुत्र स्व0 हरिशंकर नाई
   1/1/2. विकास पुत्र स्व0 हरिशंकर नाई
   1/1/3. सुशीला पत्नि स्व0 हरिशंकर नाई
   1/1/4. माया पुत्री स्व0 हरिशंकर नाई
   निवासीयान ग्राम भेडोला, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।

बनाम

1. गजराज पुत्र श्यामा नाई
2. हेमराज पुत्र श्यामा नाई
3. झमरन बैवा श्यामा नाई
4. पोशाकी देवी पत्नि सीताराम माली निवासीयान ग्राम भेडोला, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।
5. तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा।

<u>नम्बर मुकदमा 408 सन् 2011</u>

<u>दावा बाबत् इस्तकरारहक, स्थाई निषेधाज्ञा एवं इन्द्राज दुरूस्ती, अन्तर्गत धारा 88, 188 आर0टी0 एक्ट</u>

वादीगण की ओर से श्री सुधीर कुमार जैन, एडवोकेट एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 की ओर से एकपक्षीय कार्यवाही की उपस्थिति में इस वाद के आज ता0 03.12.2025 को श्री जोगेन्द्र सिंह (आर.ए.एस) के समक्ष अन्तिम निपटारें के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री जारी की जाती है कि वादीगण को खसरा नंबर 858 रकबा 0.50 है0 एवं खसरा नंबर 855 रकबा 0.21 में से 13 ऐयर कुल 0.63 है0 स्थित वाके ग्राम भेडोला, तहसील चौथ का बरवाड़ा का खातेदार घोषित किया जाता है, एवं खसरा नंबर 851/1270 एवं खसरा नंबर 853, जो वादीगण के खाते में दर्ज है, इसको सिवायचक दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के खाते से खसरा नंबर 858 को हजफ किया जावे। प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि से वादीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी खसरा नंबर 858 रकबा 0.50 है0 एवं खसरा नंबर 855 रकबा 0.13 है0 स्थित वाके ग्राम भेडोला के कब्जे काश्त में बाधा नहीं पहुंचाये। तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा को आदेशित किया जाता है कि में से 0.13 है0 कुल रकबा 0.63 है0 वाके ग्राम भेडोला, तहसील चौथ का बरवाड़ा को वादी संख्या 1/1/1 लगायत 1/1/4 के नाम खातेदारी दर्ज कर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करें व नक्शा ट्रेस में तरमीम करें। पक्षकारान अपना अपना खर्चा स्वयं वहन करें।

इस वाद के खर्चे लेखें X रूपया की राशि आज की तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर X प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित X द्वारा X को दी जाए। यह आज तारीख 03.12.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

<u>वाद के खर्च</u>

| | वादी | रूपया | पैसे | प्रतिवादी | रूपया | पैसें |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | वाद पत्र के लिए स्टाम्प | 00 | 00 | शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प | | |
| 2 | शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प | 00 | 00 | अर्जी के लिए स्टाम्प | | |
| 3 | प्रदेशा के लिए स्टाम्प रू0 पर | 00 | 00 | प्लीडर की फीस | 00 | |
| 4 | प्लीडर की फीस | 00 | 00 | साक्षियों के निर्वाह व्यय | 00 | |
| 5 | साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय | 00 | 00 | आदेशिका की तामील | 00 | |
| 6 | कमिश्नर की फीस | 00 | 00 | कमिश्नर की फीस | 00 | |
| 7 | आदेशिका की तामील | 00 | 00 | | | |
| | जोड | 00 | 00 | जोड | 00 | 00 |

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2025.12.09 12:29:17 IST
Reason: SelfAttested

(जोगेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स0 मा0)